



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 132-2022/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, JULY 22, 2022 (ASADHA 31, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 जुलाई, 2022

**संख्या 11/06/2022-4श्रम.-** कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63) की धारा 66 के उप-धारा (1) खंड (ब) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी अन्य सभी अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इस द्वारा किसी भी कारखाने के संबंध में जो रात्री पाली अर्थात् रात्रि 07.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे के दौरान, कारखाने में महिलाओं को काम पर रखने के लिए छूट हेतु आवेदन करते हैं, उनके बचाव और सुरक्षा के उपाय या रक्षा के उपायों के संबंध में, निम्नलिखित शर्तें निर्धारित करते हैं। ऐसी छूट एक कैलेंडर वर्ष के लिए वैध होगी:-

1. कारखानों में किसी भी कार्य स्थल पर किसी भी महिला का यौन उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।
2. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधान या केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी कोई अन्य कानून या कोई अन्य निर्देश/शर्तों का कारखाने के नियोक्ता द्वारा अनुपालन किया जाएगा।
3. प्रत्येक कारखाने का नियोक्ता महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) के अनुसार लिखित आदेश द्वारा एक समिति का गठन करेगा जिसे आंतरिक समिति के रूप में जाना जाएगा।  
*जहां कार्यस्थल के कार्यालय या प्रशासनिक इकाइयों अलग-अलग स्थानों या मंडल या उपमंडल स्तर पर स्थिर हों, वहां आंतरिक समिति का गठन प्रत्येक प्रशासनिक इकाइयों या कार्यालयों या कार्यस्थलों पर अलग से किया जाएगा।*
4. प्रत्येक नियोक्ता कार्यस्थल पर महिला श्रमिकों के यौन उत्पीड़न के निषेध के संबंध में अपनी प्रतिबद्धता दर्शाने वाली नीति तैयार करेगा और जितनी बार उचित हो उसे संशोधित करेगा।
5. आंतरिक समिति के गठन और यौन उत्पीड़न के निषेध पर नीति से संबंधित आदेश कार्यस्थल पर विशिष्ट स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा।
6. नियोक्ता न केवल कारखाने के अंदर बल्कि कारखाने के आस-पास और उन सभी स्थानों पर उचित प्रकाश व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध करवाएगा जहां महिला श्रमिक आवश्यकता अनुसार अपने काम के दौरान बाहर निकल सकती है।
7. नियोक्ता या प्रबंधक यह भी ध्यान रखे कि महिला श्रमिक 10 से कम संख्या के बैच में नियोजित न की जायें तथा रात्रि पाली में कारखानों में नियोजित महिला श्रमिकों की संख्या, कुल संख्या के दो तिहाई से कम न हों।

8. नियोक्ता महिला श्रमिकों को रात्रि पाली के लिए उनके घर से आने जाने हेतू सुरक्षा गार्डस युक्त (महिला सुरक्षा गार्ड सहित) परिवहन सुविधा प्रदान करेगा तथा प्रत्येक परिवहन वाहन में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हो। प्रवेश तथा निर्गम द्वार पर महिला सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी।
9. रात्रि पाली के दौरान सुपरवाइजर या सिप्ट प्रभारी या अन्य सुपरवाइजरी स्टाफ में महिलाओं की संख्या एक तिहाई से कम नहीं होनी चाहिए।
10. सुरक्षागार्ड, सुपरवाइजर, सिप्ट प्रभारी या अन्य महिला कर्मचारी सहित प्रत्येक महिला श्रमिक से रात्रि पाली अर्थात् रात्रि 07.00 बजे से प्रातः 06.00 के दौरान काम करने के लिए घोषणा/सहमति प्राप्त की जाएगी।
11. नियोक्ता रात्रि पाली के दौरान एक चिकित्सक/महिला नर्स की नियुक्ति करते हुये उचित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगा। जहां पाली में सौ से अधिक महिला श्रमिक कार्यरत है, वहां किसी भी आकस्मिक स्थिति जैसे अस्पताल में भर्ती होने, चोट लगने या उत्पीड़न के आकस्मिक कृत्य आदि का मामला होने पर एक अलग वाहन की व्यवस्था रखेगा। पुलिस, अस्पताल तथा आंतरिक समिति के सदस्यों आदि के टेलिफोन नंबर विशिष्ट स्थानों पर प्रदर्शित करेगा।
12. अन्य मामलों में कारखानों अधिनियम, 1948 के प्रावधान, काम के घंटे, आराम के अंतराल, अवकाश, महिला श्रमिकों के लिए अलग कैंटीन या विश्राम कक्ष की सुविधा, सामान वेतन अधिनियम के प्रावधान, अन्य सभी श्रम कानूनों के प्रावधान तथा वैधानिक प्रावधानों के नियमों का नियोक्ता द्वारा पालन किया जाएगा।
13. सभी पालियों में काम करने वाली महिला श्रमिकों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से नियोक्ता के साथ शिकायत दिवस के रूप में मासिक बैठक की जाएगी तथा नियोक्ता सभी न्याय संगत और उचित शिकायतों का निवारण करने का प्रयास करेगा।
14. नियोक्ता नियमित अंतराल पर कार्यशालाओं, अभिविन्यास कार्यक्रम तथा जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन करेगा ताकि महिला श्रमिकों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ उनके अधिकारों तथा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के बारे में जागरुक किया जा सके।
15. नियोक्ता या प्रबंधक प्रत्येक वर्ष की 31 जनवरी को या उससे पहले महिला श्रमिकों के विवरण के बारे में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 22 के तहत निर्धारित वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति श्रम आयुक्त, हरियाणा तथा अपने क्षेत्र के सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को भेजेगा।  
कोई अप्रिय घटना होने की स्थिति में संबंधित सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य तथा स्थानीय पुलिस थाना को एक्सप्रेस रिपोर्ट भेजी जाएगी।
16. केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा समय समय पर इस संबंध में विनिर्दिष्ट की जाने वाली कोई अन्य शर्त।  
उपरोक्त सभी शर्तें उन कारखाना प्रबंधकों पर लागू होंगी जहाँ महिला श्रमिक काम कर रही हैं।

डॉ० राजा शेखर बुंदरु,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
श्रम विभाग।